

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdp-ta-rj@nic.in)

क्रमांक:- प.3(ई)चवेमा/अलेसे-II/1983/ 585

दिनांक:- 15/06/18

आदेश संख्या 35/2018-19

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ6/ 2/एफ.डी/रूल्स/98 दिनांक 17.02.1998 के अनुसरण में निम्नांकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II को राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा में 18 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर उनके कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से प्राप्त संतोषजनक सेवा सम्बन्धी प्रमाण पत्र एवं संतान घोषणा पत्र के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 5 में उल्लिखित दिनांक से कनिष्ठ लेखाकार के पद की द्वितीय चयनित वेतनमान वेतन श्रृंखला (6500-200-10500) में स्वीकृत की जाती है।

क्र.सं.	नाम (सर्वश्री)	मेरिट/बैच नं.	कनिष्ठ लेखाकार/समान लेवल के अन्य पद पर प्रथम कार्यग्रहण तिथि	द्वितीय चवेमा देय तिथि	विशेष विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	अनिल कुमार जैन	632/83	11.03.1984	11.03.2005	9 वर्ष की एपीएआर में से दो एपीएआर में प्रतिकूल प्रविष्टि होने के कारण जांच के आधार पर देय

श्री अनिल कुमार जैन के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प. 1(20)ग्रुप-2/92 दिनांक 23.04.1994 में दी गई शर्तों के संबंध में संतोषजनक सेवा संबंधी प्रमाण पत्र तथा कार्मिक विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ.7(1)(डीओपी)/क-2/95 दिनांक 20.06.2001 के क्रम में संतान संबंधी घोषणा प्राप्ति के आधार पर द्वितीय चयनित स्वीकृत किया जाता है।

श्री अनिल कुमार जैन का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 17.02.1998 के पैरा 10 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि कार्मिक को पूर्व में द्वितीय चयनित वेतनमान स्वीकृत नहीं किया गया है तथा द्वितीय चयनित वेतनमान देय तिथि से गत 7 वर्ष पूर्व तक के एपीएआर में वर्ष 1996-97 एवं 2000-01 की एपीएआर में प्रतिकूल प्रविष्टि के अतिरिक्त अन्य कोई दण्ड नहीं दिया गया है तथा इनके विरुद्ध फौजदारी/विभागीय जांच लंबित/प्रस्तावित नहीं है एवं नियमित रूप से वेतन वृद्धियां मिल रही हैं।

इस स्वीकृति एवं वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से कार्मिक की सेवा पुस्तिका में की जाये।


(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक:- प.3(ई)चवेमा/अलेसे-II/1983/ 585

दिनांक:- 15/6/18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
2. अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I/एपीएआर शाखा)
3. संबंधित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
5. कम्प्यूटर अनुभाग (वेबसाइट) हेतु।
6. निजी पत्रावली/ रक्षित पत्रावली।


(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II)

D:\SAS-II\sas-ii\Kamal ji\order